

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103005692014

दांडिक प्रकरण क.-751 / 14

संस्थापित दिनांक-23.12.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
<div>विरुद्ध</div>
01-पुरुषोत्तम पुत्र दिलीप सिंह विश्वकर्मा, बाढई उम्र 36 वर्ष। 02-गौतम पुत्र दिलीप सिंह विश्वकर्मा, बाढई उम्र 34 वर्ष 03-हरिशंकर पुत्र दिलीप सिंह विश्वकर्मा बाढई उम्र 26 साल निवासीगण ग्राम रामनगर। <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 27.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 294, 323, 324, 506बी, 34 इजाफा 447 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राजू उर्फ राजेश विश्वकर्मा ने दिनांक 29.11.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात करीब 10.30 बजे की बात है। उसके खेत में उसके गांव का पुरुषोत्तम विश्वकर्मा पानी दे रहा था एवं चोरी से उसके खेत में गेहूं भी फेंक दिया था। उसने पुरुषोत्तम को खेत में पानी देने से रोका तो पुरुषोत्तम अपने भाई गौतम और हरिशंकर को बुला लाया और तीनों उसे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। उसने जब गाली देने से मना किया तो पुरुषोत्तम ने उसके सिर में कुल्हाड़ी से मारा। जब वह चिल्लाया तो उसका भाई कैलाश, पत्नी रतिबाई और बहू गीता आ गए, आरोपीगण ने लाठी-डंडों से उनकी भी मारपीट की जिससे उन्हें चोट आई। आरोपीगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी देकर गए। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 521/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 323, 324, 294, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 323/34—दो शीर्ष, 324/34, 506बी, 447 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 28.11.2014 को रात करीब 10.30 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम रामनगर फरियादी के खेत के पास फरियादी

को सार्वजनिक स्थान पर मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत को अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आरोपीगण ने या आरोपीगण में से किसी ने आहत कैलाश और रतिबाई की लाठी, डंडों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत को अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आरोपीगण या आरोपीगण में से किसी ने आहत राजू को धारदार हथियार असन व भेदन उपकरण जैसे कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजू को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजू के खेत में कब्जा करने के आशय से प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 राजू अ.सा. 02 रतिबाई, अ.सा. 03 राजकुमार रघुवंशी, अ.सा. 04 कैलाश, अ.सा. 05 गीताबाई, अ.सा. 06 डॉ. बी पी गौतम, अ.सा. 07 वीरेंद्र की मौखिक

साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में ब. सा. 01 चरन सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई तथा हरिशंकर के कथन अंतर्गत धारा 315 दफ़्त अंकित किए गए।

07— अभियोजन साक्षी 01 राजू ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना रात्रि साढ़े दस बजे की है और जब वह खेत पर पानी दे रहा था तब आरोपीगण आए और गेहूं फेंके। उक्त साक्षी के अनुसार उसने जब मना किया तब वे उसके साथ गाली-गलौच करने लगे और जब वह चिल्लाया तब उसकी पत्नी भी आ गई। उक्त साक्षी के अनुसार पुरुषोत्तम ने उसके सिर के बीच में कुल्हाड़ी मारी थी और कान के उपर भी कुल्हाड़ी मारी थी। अ.सा. 01 के अनुसार गौतम ने उसे डंडा मारा था जिससे वह बेहोश हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। अ.सा. 02 रतिबाई ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसके पति खेत पर गए थे तब आरोपीगण ने गेहूं फेंक दिए थे और जब उसके पति ने गेहूं फेंकने से मना किया तब आरोपीगण ने डंडे व कुल्हाड़ी से मारपीट की थी जिससे उनको चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने उसके देवर के साथ भी मारपीट की थी।

08— अ.सा. 04 कैलाश ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने राजू के साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण गाली गलौच कर रहे थे और आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। अ.सा. 05 गीताबाई ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने राजू के साथ घटना दिनांक को गाली गलौच की थी एवं मारपीट की थी। आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की थी। अ.सा. 01 ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके तथा उसके भाई के विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त साक्षी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से जमीन का मुकदमा चल रहा है। अ.सा. 02 के अनुसार उसके पहुंचने के बाद आरोपीगण ने कुल्हाड़ी मारी थी। उक्त साक्षी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उसका

आरोपीगण से जमीन का विवाद चल रहा है। अ.सा. 04 ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनका आरोपीगण से झगड़े के पहले से जमीन पर से विवाद चल रहा था। अ.सा. 05 ने भी अपने कथन में बताया है कि जमीन को लेकर उनका आरोपीगण से विवाद चल रहा है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण की रिपोर्ट पर से फरियादी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध है।

09— अ.सा. 07 वीरेंद्र पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अ.सा. 06 डॉ बी पी गौतम के अनुसार दिनांक 29.11.14 को उन्होंने आहत राजू का मेडिकल परीक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 06 है जिसके अनुसार आहत को छः चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत कैलाश का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 07 है जिसके अनुसार आहत को चार चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत रतिबाई का भी मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 08 है जिसके अनुसार रतिबाई के शरीर पर तीन चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त सभी चोटें सख्त एवं भौथरी वस्तु से पहुंचाई गई थीं। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने आहतगण के बताए अनुसार गलत रिपोर्ट तैयार की है। अ.सा. 03 राजकुमार रघुवंशी ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई है। उक्त साक्षी के अनुसार उनके द्वारा प्रपी 02 का नक्शामौका तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उनके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा आरोपीगण को प्रपी 03 लगायत प्रपी 05 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है।

10— आरोपीगण की ओर से आरोपी हरिशंकर के कथन अंतर्गत धारा 315 दफ़्तार प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादी और उसके भाई ने उसके साथ गाली गलौच की थी और उसके साथ कुल्हाड़ी एवं डंडों से मारपीट की थी। उक्त

साक्षी के अनुसार फरियादी पक्ष ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी थी। आरोपीगण की ओर से बचाव साक्षी चरण सिंह ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को पुरुषोत्तम, राजू व कैलाश का झगडा हो रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार राजू ने गौतम के सिर में कुल्हाड़ी मारी थी तथा कैलाश ने पुरुषोत्त को डंडे से मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार राजू एवं कैलाश ने जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार यदि रतिबाई और गीताबाई को चोट आई हो तो वह नहीं बता सकता।

11— अभियोजन द्वारा जो उपरोक्त साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है और साथ ही आरोपीगण की ओर से जो बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य भूमि विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी तथा आरोपीगण की रिपोर्ट पर से फरियादी के विरुद्ध भी प्रकरण पंजीबद्ध है। मात्र इस आधार पर कि आरोपीगण द्वारा फरियादी के विरुद्ध रिपोर्ट की गई है यह निष्कर्ष दिया जाना समीचीन नहीं है कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि अ.सा. 01, अ.सा. 02, अ.सा. 04 एवं अ.सा. 05 ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बताया है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक को गालियां दी थीं तथा लाठी एवं कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। अ.सा. 04 ने यह भी कथन किया है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य लगभग समान है तथा एक-दूसरे की साक्ष्य का अनुसमर्थन कर रही हैं। अ.सा. 06 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं उनकी साक्ष्य से भी यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहतगण को उक्त चोटें आई थीं। इस प्रकार फरियादी एवं आहतगण की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा. 06 की साक्ष्य से हो रही है। अ.सा. 01, अ.सा. 02, अ.सा. 04 एवं अ.सा. 05 की साक्ष्य अखंडनीय रही है तथा सभी साक्षीगण ने अपने कथनों में आरोपीगण द्वारा कारित अपराध के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है।

12— अ.सा. 01 ने अपने कथनों में बताया है कि आरोपीगण ने उसके साथ गाली गलौच की थी और साथ ही कुल्हाड़ी एवं डंडे से मारा था। इसी प्रकार अ.सा. 02,

अ.सा. 04, अ.सा. 05 ने भी अपने कथनों में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी राजू तथा आहत रतिबाई एवं कैलाश के साथ डंडे एवं लाठी से मारपीट की गई। आरोपीगण की ओर से ब.सा. 01 ने अपने कथनों में बताया है कि प्रस्तुत प्रकरण के फरियादी एवं आहत राजू तथा कैलाश आरोपीगण के साथ मारपीट कर भाग रहे थे तथा वे तार में फंस गए थे जिससे उन्हें चोट आई थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में एक अन्य आहत रतिबाई भी है तथा उसे किस प्रकार चोट आई इस संबंध में ब.सा. 01 स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहा है। इस प्रकार यह निष्कर्ष देना कि फरियादी एवं आहत को तार में फंसकर चोट आई थी, समीचीन प्रतीत नहीं होता। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ गाली-गलौच की गई तथा फरियादी एवं आहतगण के साथ लाठी एवं कुल्हाड़ी से मारपीट की गई और साथ ही जान से मारने की धमकी दी गई। उल्लेखनीय है कि एक भी फरियादी या आहत ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण ने फरियादी के खेत में कब्जा करने के आशय से प्रवेश किया और इस प्रकार यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा आपराधिक अतिचार कारित किया गया।

13— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 294, 323/34—दो शीर्ष, 324/34, 506बी के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है एवं भादवि की धारा 447 में आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है।

14— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर

**पुनश्च:-**

15. आरोपीगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध लाठी एवं कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार से कारित किया गया है तथा प्रकरण में तीन आहत हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

16. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि उनके द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द. वि. की धारा 294 के अपराध में 200-200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 3 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323/34-दो शीर्ष के अपराध में 3-3 माह के साधारण



कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 7-7 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 324/34 के अपराध में 3-3 माह के साधारण कारावास एवं 300-300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 7-7 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 506बी के अपराध में 200-200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 3-3 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

17. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

18. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

19. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

20. आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)